2 जी पिक्चर अभी बाक़ी है .....

राजेश दास

2 जी घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया कि कोई घोटाला था ही नही कांग्रेसीयो का दिल यह सुनकर बल्लियों उछलने लगा। भाजपाई खेमा में अरुण जेटली के बयान से सांस में सांस आयी कि इस फैसले को कांग्रेस अपनी बेगुनाही का सबूत न माने। 'यानी पिक्चर अभी बाकि हैं मेरे दोस्त'।

ओर पत्रकारों को एक नया काम मिल गया अब वह इस नूरा कुश्ती की खबरे खूब चटखारे लेकर के सुनाएंगे, पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री रहे मधु कौड़ा को विशेष सीबीआई जज ने सजा सुनाई आप कहेंगे कि इस पोस्ट में मधुकोड़ा क्या कर रहे है पर बहुत गहरा संबंध है जिसके बारे में बड़े से बड़े पत्रकार भी बात करने से बचते हैं। दरअसल 2 जी घोटाला ओर मधुकोड़ा का कोयला खान से संबंधित घोटाला एक ही महिला के टेलीफोन टेपिंग से संबंधित है जिसका नाम है नीरा राडिया,

मधुकोड़ा का मामला भी तभी प्रकाश में आया जब नीरा राडिया के टेप पकड़ में आये और 2 जी मामला भी तभी खुला जब नीरा राडिया की बातचीत सार्वजनिक हो गयीं, एक मे सजा हुई क्योंकि मधुकोड़ा का कोई माईबाप नही था और दूसरे केस में विश्व का बहुत बड़ा घोटाला होने के बाद भी कोई आरोपी साबित नही हो पाया

ऐसा क्यों हुआ अभी इसकी बहुत सी थ्योरी सामने आएंगी लेकिन जिसे आप 2 जी घोटाला कहते है वह दरअसल हमारी सड़ चुकी नोकरशाही, कमीनी राजनीति और बिक चुकी हुई पत्रकारिता का ऐसा कॉकटेल है जिसकी विश्व मे दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है

आधुनिक समय मे बड़े शहरों की पीआर एजेंसिया भड़वागिरी का दूसरा ओर सभ्य नाम है, कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी फिक्सर वूमेन या लाइजनर नीरा राडिया एक तरह की पी आर एजेंसी ही चलाती थी। नीरा राडिया के क्लाइंट में टाटा ग्रुप की कम्पनियों,मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कम्पनियों, स्टार न्यूज, एनडीटीवी,नईदुनिया, न्यूज एक्स, यूनीटेक,स्वान,वेदान्ता,डी.बी., रेमंड,चैनल वी, बेहाल, एअरबस, सिंगापुर एअरलाइंस,सीआईआई, कोटक महिन्द्रा, सहारा एअरलाइंस सहित बहुत सी कम्पनिया शामिल थी।

नीरा ने लाइजनिंग की अपनी लगभग आधा दर्जन कम्पनियां बना रखी थीं जिसमें पूर्व उर्जा सचिव व ट्राई अध्यक्ष प्रदीप बैजल, पूर्व वित्त सचिव सी.एम वासुदेव, पूर्व एअरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया चेयरमैन एस.के.नरूला, पूर्व फारेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड चेयरमैन अजय दूआ आदि भारी भरकम नौकरशाह मोटे पगार पर सलाहकार, निदेशक की नौकरी कर रहे थे। नीरा के ग्रुप में बरखा दत्त, वीरसांघवी जैसे लगभग आधा दर्जन से अधिक तथाकथित बड़े पत्रकार और इनके बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के मालिक शामिल थे।

कहा जाता है कि ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनवाने में भी राडिया का बड़ा योगदान रहा। राडिया राजा की करीबी थीं और तीन टेलीकॉम ऑपरेटरों यूनिटेक, स्वान और डाटाकॉम को 2 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस दिलवाने के प्रयास में लगी थीं। राडिया और कनिमोझी (करूणानिधि की बेटी) ने पत्रकार वीर संघवी और बरखा दत्त के मार्फत राजा को दूरसंचार मंत्री बनवाने के लिए बातचीत की थीं और राडिया ने ही राजा को 24 मई 2009 को फोन करके सबसे पहले दूरसंचार मंत्री बनाए जाने की सूचना दी।

टेपों से पता चलता है कि दयानिधि मारन केन्द्रीय कैबिनेट में जगह पाने के लिए किस तरह प्रयासरत थे। वे करूणानिधि

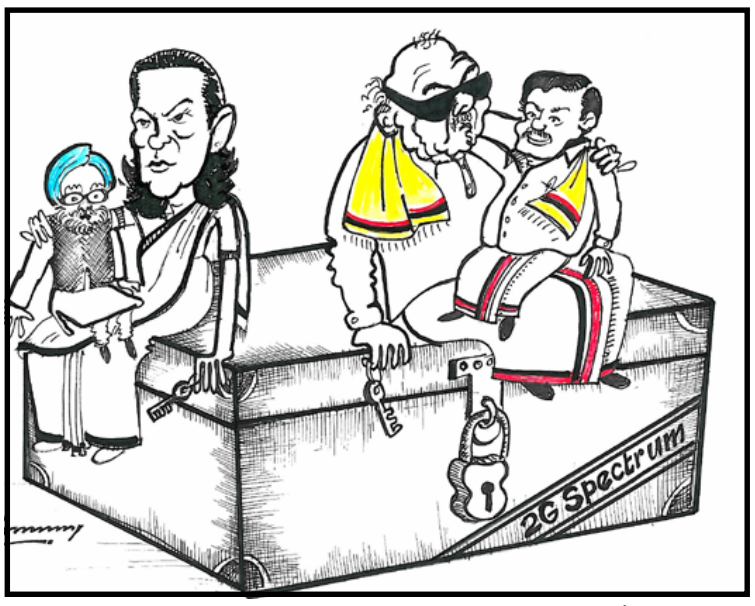

के रिश्तेदारों के जरिये दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं टेप में राडिया यह भी बताती हैं, मारन ने मंत्री बनने के लिए करूणानिधि की एक पत्नी (स्टालिन की मां) को 600 करोड़ रुपए दिए थे।

नीरा राडिया के यह टेप कितने खतरनाक थे। यह इस बात से समझ लीजिए कि टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें मांग की गई थी कि कारपोरेट लॉबिस्ट राडिया के टेप के प्रकाशन पर रोक लगाई जाए और इसे लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, आप कहेंगे कि कांग्रेस तो वैसे ही भ्रष्ट लोगो की पार्टी है तो जान लीजिए नीरा राडिया की पैठ भाजपा में भी उतनी ही थी जितनी कांग्रेस पार्टी में थी। जब बंगाल में टाटा नैनो फैक्टरी को लेकर बवाल मचा था तो जुगाड़ कर यह फैक्टरी नीरा ही मोदी जी के लिए गुजरात लाई थी।

अटल बिहारी वाजपेयी के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य और वाजपेयी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे अनन्त कुमार नीरा राडिया के दोस्त थे।

कहते हैं कि उमा भारती के गुरू और पंजाबुर के स्वामी जी के दरबार में तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी फोटो भी मौजूद है। अपने ऐसे ही सम्पर्कों का फायदा उठाकर 1996 में नीरा ने बहुत बड़ा फॉर्म हाउस दक्षिण दिल्ली में खरीद लिया था ओर यही से असली जनसंपर्क की पार्टियां दी जाती थीं, आगे कभी ओर लिखेंगे पर आप इतना जान लीजिए कि इस राडिया पुराण के हरि भी अनंत हैं और उनकी कथाए भी अनन्त है और इस 2 जी घोटाला की जितनी तहे अभी खुलनी चाहिए थी उतनी नही खुली क्योंकि अगर खुलती तो क्या भाजपाई , क्या कांग्रेसी, क्या नोकरशाही , क्या बड़े उद्योगपति ओर क्या नामचीन पत्रकार सब के सब नंगे हो जाते।

ये हैं सीबीआई जज सैनी की 10 बड़ी टिप्पणियां

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में ए राजा और कनिमोझी को बरी किए जाने के अपने फैसले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। स्पेशल ट्रायल कोर्ट की इन टिप्पणियों से इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। ये हैं इस मामले की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ओ पी सैनी की 10 अहम टिप्पणियां:-

1. जैसे-जैसे कोर्ट में मामला आगे बढ़ता रहा अभियोग पक्ष बेहद सजग रहा और अपनी बहस में सतर्कता के साथ दलीलें रखता पाया गया।

2. पूरी सुनवाई के दौरान यह समझना बेहद मुश्किल था कि अभियोजन पक्ष अपनी दलीलों से कोर्ट में क्या साबित करना चाह रहा था।

3. अभियोजन पक्ष बेहद कमजोर दलील पेश कर रहा था और मामले में सुनवाई पूरी होते तक कोर्ट को यह साफ हो गया कि अभियोजन पक्ष पूरी तरह दिशाहीन हो गया था।

4. मामले में नियुक्त स्पेशल सरकारी वकील और सामान्य सरकारी वकील बिना किसी तालमेल के अलग-अलग दिशा में दलील देते पाए गए।

5. टेलीकॉम मंत्रालय द्वारा पेश ज्यादातर दस्तावेज असंगठित थे और मंत्रालय के नीतिगत मुद्दे पूरे मामले को और पेंचीदा कर रहे थे जिसके चलते किसी को पूरा मामला समझ में नहीं आया।

6. मंत्रालय के अव्यवस्थित दस्तावेजों और नीतियों से संदेह पैदा होता है कि किसी ने मामले को घोटाले का स्वरूप देने के लिए कुछ अहम तथ्यों को खास तरह पेश किया और कई तथ्यों को ऐसे स्तर तक खींचा गया कि मामले को समझ पाना नामुमकिन हो गया।

7. ए राजा पर लगे आरोपों को साबित करने के लिए सीबीआई की तरफ से कोई सुबूत नहीं रखा गया। न ही कलाईगनार टीवी को 200 करोड़ रुपये के ट्रांसफर को गलत साबित किया जा सका।

8. सीबीआई द्वारा पेश चार्जशीट का आधार गलत ढंग से दस्तावेजों को पढ़ने और कुछ दस्तावेजों को न पढ़ने का नतीजा है। वहीं सीबीआई ने मामले को जांच के दौरान सामने आए गवाहों के मौखिक बयान पर आधारित किया जबकि कोर्ट में सभी गवाह मौखिक गवाही से पलट गए।

9. सीबीआई की चार्जशीट में कई गलत तथ्यों को पेश किया गया, जिसमें वित्त सचिव द्वारा आवंटन के लिए टेलिकॉम कंपनियों की एंट्री फीस में संशोधन की सिफारिश करना भी शामिल है।

10. पूरी सुनवाई के दौरान सीबीआई समेत अभियोग पक्ष पूरी तरह से विफल रहा है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के जरिए पेश किए किसी भी आरोप को साबित करने में महज विफलता पाई।

सीबीआई जज ओपी सैनी की मानें तो टुजी ट्रायल में वे 7 वर्ष तक हर रोज इन्तज़ार करते रहे कि सीबीआई की ओर से दोषियों के ख़िलाफ़ कोई सबूत ऐसा पेश हो जिस पर उन्हें सज़ा दी जा सके। क्योंकि सीबीआई ऐसा कर नहीं सकी, लिहाज़ा मज़बूरी में दोषियों को बरी करना पड़ा।

समझ में नहीं आता कि 80000 पेज की चार्जशीट के अलावा यदि जज सैनी को कोई और सबूत चाहिये थे तो उन्होंने 7 साल में सीबीआई से क्यों नहीं मांगे? अदालत में जज कोई भी कार्यवाही करने या कैसा भी निर्देश देने के लिये स्वतंत्र होता है। सच्चाई यह है कि जज सैनी ने दोषी वैसे भी बरी करने थे।

यह वही जज है जिसने शुरू में ही अनिल अम्बानी और उसकी पत्नी टीना अम्बानी को इसी मामले में समन करने से ही इन्कार कर दिया था। सीबीआई ने भी तब उन्हें तलब कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। दामाद जी की सभी को याद होगी। ढींगड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट आये डेढ साल हो गये लेकिन डीएलएफ़ के सहअभियुक्त होने के चलते खट्टर और मोदी की क्या मजाल जो कुछ कर पायें। मौजूदा टुजी मामले में भी अनिल अम्बानी की गर्दन फ़सती है इसलिये तमाम दोषियों को बरी करना मोदी की मजबूरी हो गयी। बोनस में करूणानिधि का आशीर्वाद अलग से।

आखिर सबकी मां तो एक ही है - कार्पोरेट।

टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल

बड़े बड़े पत्रकार आज कह रहे है कि 1 लाख 76 हजार करोड़ जैसी कोई रकम थी ही नही, अब फैसला उनके कथनानुसार आ गया है तो वो ठीक ही कहते होंगे.....

लेकिन 2 जी घोटाले के इतिहास में एक तारीख है जो बेहद महत्वपूर्ण है और वो तारीख है 10 जनवरी 2008 की , कहा जाता है कि इस दिन टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भूचाल आया वैसे कभी पहले नही देखा गया इस पोस्ट में जो आगे घटनाए लिखी गयी हैं वह मैने नही लिखी हैं किसने लिखी है पता नही , पर बहुत इंटरस्टिंग है और बड़े विस्तृत रूप में लिखी गयी हैं इसलिए वक्त निकालकर पढ़िएगा..... लंबी पोस्ट है.....

नई दिल्ली. अशोक रोड। संचार भवन पहली मंजिल दस जनवरी 2008। वक्त दोपहर पौने तीन बजे। संचार मंत्री एंदीमुथु राजा के निजी सहायक आरके चंदोलिया का दफ्तर। राजा के हुक्म से एक प्रेस रिलीज जारी होती है 2 जी स्पेक्ट्रम 3.30 से 4.30 के बीच जारी होगा। तुरंत हड़कंप मच गया। सिर्फ 45 मिनट तो बाकी थे.....

वह एक आम दिन था। कुछ खास था तो सिर्फ ए. राजा की इस भवन के दफ्तर में मौजूदगी। राजा यहां के अंधेरे और बेरौनक गलियारों से गुजरने की बजाए इलेक्ट्रॉनिक्स भवन के चमचमाते दफ्तर में बैठना ज्यादा पसंद करते थे। पर आज यहां विराजे थे 2जी स्पेक्ट्रम के लिए चार महीने से चक्कर लगा कंपनियों के लोग भी इन्हीं अंधेरे गलियारों में मंडराते देखे गए.....

लंच तक माहौल दूसरे सरकारी दफ्तरों की तरह सुस्त सा रहा। पौने तीन बजते ही तूफान सा आ गया। गलियारों में भागमभाग मच गई। मोबाइल फोनों पर होने वाली बातचीत चीख-पुकार में तब्दील हो गई। वे चंदोलिया के दफ्तर से मिली अपडेट अपने आकाओं को दे रहे थे। साढ़े तीन बजे तक सारी खानापूर्ति पूरी की जानी थी। उसके एक घंटे में अरबों-खरबों रुपए के मुनाफे की लॉटरी लगने वाली थी।

जनवरी की सर्दी में कंपनी वालों के माथे से पसीना चू रहा था। मोबाइल पर बात करते हुए आवाज कांप रही थी। सबकी कोशिश सबसे पहले आने की ही थी। लाइसेंस के लिए कतार का कायदा फीस जमा करने के आधार पर तय होना था। फीस भी कितनी- सिर्फ 1658 करोड़ रुपए का बैंक ड्राफ्ट। साथ में बैंक गारंटी, वायरलेस सर्विस ऑपरेटर के लिए आवेदन, गृह मंत्रालय का सिक्यूरिटी क्लीरेंस, वाणिज्य मंत्रालय के फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमति पत्र.। ऐसे करीब एक दर्जन दस्तावेज जमा करना भी जरूरी था। वक्त सिर्फ 45 मिनट.....

परदे के आगे की कहानी.....

25 सितंबर 2007 तक स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों में से जिन्हें हर प्रकार से योग्य माना गया उन कंपनियों के अफसरों को आठवीं मंजिल तक जाना था। डिप्टी डायरेक्टर जनरल (एक्सेस सर्विसेज) आर के श्रीवास्तव के दफ्तर में। यहीं मिलने थे लेटर ऑफ इंटेट। फिर दूसरी मंजिल के कमेटी रूम में बैठे टेलीकॉम एकाउंट सर्विस के अफसरों के सामने हाजिरी। यहां दाखिल होने थे 1658 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट के साथ सभी जरूरी कागजात। यहां अफसर स्टॉप वॉच लेकर बैठे थे ताकि कागजात जमा होने का समय सेकंडों में दर्ज किया जाए।

किसी के लिए भी एक-एक सेकंड इतना कीमती इससे पहले कभी नहीं था। सबकी घड़ियों में कांटे आगे सरक रहे थे। बेचैनी, बदहवासी और अफरातफरी बढ़ गई थी। चतुर और पहले से तैयार कंपनियों के तजुर्बेकार अफसरों ने इस सख्त इम्तहान में अव्वल आने के लिए तरकश से तीर निकाले। अपनी कागजी खानापूर्ति वक्त पर पूरी करने के साथ प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लोगों को अटकाना-उलझाना जरूरी था। अचानक संचार भवन में कुछ लोग नमूदार हुए। ये कुछ कंपनियों के ताकतवर सहायक थे। दिखने में दबंग।

हट्टे-कट्टे। कुछ भी कर गुजरने को तैयार। इनके आते ही माहौल गरमा गया। इन्हें अपना काम मालूम था। अपने बॉस का रास्ता साफ रखना, दूसरों को रोकना। लिफ्ट में पहले कौन दाखिल हो, इस पर झगड़े शुरू हो गए। धक्का-मुक्की होने लगी। सबको वक्त पर सही टेबल पर पहुंचने की जल्दी थी। पूर्व टेलीकॉम मंत्री सुखराम की विशेष कृपा के पात्र रहे हिमाचल फ्यूचरस्टिक कंपनी (एचएफसीएल) के मालिक महेंद्र नाहटा की तो पिटाई तक हो गई। उन्हें कतार से निकाल कर संचार भवन के बाहर धकिया दिया गया। दबंगों के इस डायरेक्ट-एक्शन की चपेट में कई अफसर तक आ गए। किसी के साथ हाथापाई हुई, किसी के कपड़े फटते-फटते बचे। आला अफसरों ने हथियार डाल दिए। फौरन पुलिस बुलाई गई। घड़ी की सुइयां तेजी से सरक रही थीं। हालात काबू में आते-आते वक्त पूरा हो गया। जो कंपनियां साम, दाम, दंड, भेद के इस खेल में चंद मिनट या सेकंडों से पीछे रह गईं, उनके नुमांइदे अदालत जाने की घुड़कियां देते निकले

लुटे-पिटे अंदाज में एक कंपनी के प्रतिनिधि ने आत्महत्या कर लेने की धमकी दी। कई अन्य कंपनियों के लोग वहीं धरने पर बैठ गए। पुलिस को बल प्रयोग कर उन्हें हटाना पड़ा। आवेदन करने वाली 46 में से केवल नौ कंपनियां ही पौन घंटे के इस गलाकाट इम्तहान में कामयाब रहीं। इनमें यूनिटेक, स्वॉन, डाटाकॉम, एसटेल और शापिंग स्टॉप डॉट काम नई कंपनियां थीं जबकि आइडिया, टाटा, श्याम टेलीलिंक और स्पाइस बाजार में पहले से डटी थीं

एचएफसीएल, पार्श्वनाथ बिल्डर्स और चीता कारपोरेट सर्विसेज के आवेदन खारिज हो गए। बाईसेल के बाकी कागज पूरे थे सिर्फ गृहमंत्रालय से सुरक्षा जांच का प्रमाणपत्र नदारद था। सेलीन इंफ्रास्ट्रक्चर के आवेदन के साथ एफआईपीबी का क्लियरेंस नहीं था। बाईसेल के अफसर छाती पीटते रहे कि प्रतिद्वंद्वियों ने उनके खिलाफ झूठे केस बनाकर गृह मंत्रालय का प्रमाणपत्र रुकवा दिया। उस दिन संचार भवन में केवल लूटमार का नजारा था। पौन घंटे का यह एपीसोड कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा।

परदे के पीछे की कहानी.....

इसी दिन। सुबह नौ बजे। संचार मंत्री ए. राजा का सरकारी निवास। कुछ लोग नाश्ते के लिए बुलाए गए थे। इनमें टेलीकॉम सेक्रेट्री सिद्धार्थ बेहुरा, डीडीजी (एक्सेस सर्विसेज) आर के श्रीवास्तव, मंत्री के निजी सहायक आर. के. चंदोलिया, वायरलेस सेल के चीफ अशोक चंद्रा और वायरलेस प्लानिंग एडवाइजर पी. के. गर्ग थे।

कोहरे से भरी उस सर्द सुबह गरमागरम चाय और नाश्ते का लुत्फ लेते हुए राजा ने अपने इन अफसरों को अलर्ट किया। राजा आज के दिन की अहमियत बता रहे थे। खासतौर से दोपहर 2.45 से 4.30 बजे के बीच की। राजा ने बारीकी से समझाया कि कब क्या करना है और किसके हिस्से में क्या काम है? चाय की आखिरी चुस्की के साथ राजा ने बेफिक्र होकर कहा कि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। अफसर खुश होकर बंगले से बाहर निकले और रवाना हो गए।

दोपहर तीन बजे। संचार भवन। आठवीं मंजिल। एक्सेस सर्विसेज का दफ्तर। फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ डीडीजी (एक्सेस सर्विसेज) आर. के. श्रीवास्तव थे। यहां मौजूद अफसरों को चंदोलिया के कमरे में तलब किया गया। मंत्री के ऑफिस के ठीक सामने चंदोलिया का कक्ष है। एक्शन प्लान के मुताबिक सब यहां इकट्ठे हुए। इनका सामना स्वॉन टेलीकॉम और यूनिटेक के आला अफसरों से हुआ। चंदोलिया ने आदेश दिया कि इन साहेबान से ड्राफ्ट और बाकी कागजात लेकर शीर्ष वरीयता प्रदान करो। बिना देर किए स्वॉन को पहला नंबर मिला, यूनिटेक को दूसरा

सबकुछ इत्मीनान से। यहां कोई धक्कामुक्की और अफरातफरी नहीं मची। बाहर दूसरी कंपनियों को साढ़े तीन बजे तक जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में पसीना आ रहा था। अंदर स्वॉन और यूनिटेक को पंद्रह मिनट भी नहीं लगे। इन कंपनियों को पहले ही मालूम था कि करना क्या है। इसलिए इनके अफसर चंदोलिया के दफ्तर से प्रसन्नचित्त होकर विजयी भाव से मोबाईल कान से लगाए बाहर निकले। दूर कहीं किसी को गुड न्यूज देते हुए..... **यह था असली किस्सा - ए - 2 जी, अब पता नही इसको घोटाला नही बोलते तो ओर क्या बोलते है.....**